

संचालनालय आयुष, म0प्र0

(मू-तल 'डी' विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 24 / 02 / 2023

-विज्ञप्ति-

-स्नातक मॉप-अप (तृतीय) चरण काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)-
-बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस-

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।


प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत मॉप-अप (तृतीय) चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र0	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 27/02/2023
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फिलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 28/02/2023 रात्रि 11:59 बजे तक।
3	सीट आवंटन	दिनांक 03/03/2023
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 03/03/2023 को सायं 04:00 बजे से 7:00 बजे तक तथा दिनांक 04/03/2023 सायं 07:00 बजे तक।
5	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 03/03/2023 को सायं 04:00 बजे से दिनांक 04/03/2023 सायं 11:59 बजे तक।

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 3- मॉप-अप (तृतीय) चरण में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी के द्वारा च्वाईस फिलिंग के समय जमा किया गया आंशिक शुल्क राजसात कर लिया जायेगा।
- 4- काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय/मॉप-अप/मॉप-अप (द्वितीय) चरण में प्रवेशित/निरस्त, मॉप-अप/मॉप-अप (द्वितीय) चरण में आवंटित अभ्यर्थी मॉप-अप (तृतीय) चरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 5- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल www.mponline.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


24/2/23
औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0